

न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरनसर

बअदालत :- रामनाथ शर्मा उपखण्ड अधिकारी

राजस्व वाद संख्या 414/2022

1. पुष्पादेवी पुत्री प्रेमराज उर्फ प्रेमा जाति ब्राह्मण निवासी डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर।
-वादी-

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लूनकरनसर।

-प्रतिवादी-

उपस्थित :-

- 1 श्री लालचन्द जाट वादी वकील
2. पैरोकार राज

दावा बाबत घोषणात्मक नक्शा दुरुस्ती
दावा अन्तर्गत धारा 88,92ए,188, 207 आरटीए 136 एलआरएक्ट

-: निर्णय :-

दिनांक :- 10/02/2023

वादी एवं पैरोकार राज उपस्थित। संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीया के नाम से राजस्व रेकार्ड में खरीदशुदा खातेदारी भूमि मौजा रोही कांकडवाला के खसरा नम्बर 177/1 तादादी 42 बीघा स्थित हैं। जो वादीया ने तत्कालीन खातेदार करणीसिंह पुत्र गोपालसिंह जाति राजपूत निवासी कांकडवाला से खरीद की थी। तथा खरीद के दिन जिस जगह पर कब्जा वादीया को दिया था उसजगह पर आज दिनांक तक निरन्तर कब्जा चला आ रहा हैं। मौजा रोही कांकडवाला में सम्वत 2017 से 2025 के मध्य बन्दोबस्त की कार्यवाही करके नया रेकार्ड तैयार किया गया था तब भू प्रबन्ध विभाग ने कई पुराने खसरा नम्बरों को मिलाकर नये खसरा बनाये गये तथा जमाबन्दी एवं नक्शा में अलग अलग तरमीम किये गये लेकिन नक्शा में जमाबन्दी में दर्ज रकबे के अनुसार फिटिंग नहीं किया गया जिसके कारण जमाबन्दी में दर्ज रकबा एवं नक्शा में की गई भुजाओं के नाप में अन्तर आ रहा हैं। खसरा नम्बर 177/1 का मूल खसरा नम्बर 177 है, जो जमाबन्दी के मुताबिक 120.10 बीघा का हैं। परन्तु मुताबिक नक्शा (लटा ट्रेस) की भुजाओं के अनुसार 70 बीघा का हैं। इस प्रकार खसरा नम्बर 177 नक्शा में 50.0 बीघा कम तरमीम कर खसरा नम्बर 177 की भूमि पास के खसरों में तरमीम कर दी। जिसका कोई अधिकार भू-प्रबन्ध विभाग को नहीं था। भू-प्रबन्ध विभाग का उक्त कृत्य अवैध एवं शुन्य हैं। खसरा नम्बर 177 पुराना खसरा नम्बर 53 व 106 मिन से बना हैं। वादीया का नया खसरा नम्बर 202 , 197 , 193 , 198, 199 , 199/415 पर कब्जा एवं दखल खरीद के दिन से चला आ रहा हैं। उपरोक्त खसरा नम्बर पुराना खसरा नम्बर 106 मिन से बने हैं।

24
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

वादीया की उपरोक्त कब्जेकाश्त की भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आने पर चक 10-11 बीएचएम के मुरब्बा नम्बर 5/40 के किला नं. 2 ता 9 , 12ता19, 21ता25 तादादी 21.0 बीघा , मु0नं0 25/15 के किला नं0 6, 13ता25, तादादी 14.0 बीघा , मु0नं0 25/27 के किला नं0 1 ता 4 , 7 ता 09 तादादी 07.0 बीघा कुल तादादी 42.0 बीघा में तब्दील हुई। जिस पर वादीया का खरीद के दिन से कब्जा एवं दखल चला आ रहा है। वादीया उपरोक्त भूमि की खातेदारी हकों की घोषणा कराने एवं राजस्व रिकॉर्ड में तदानुसार दुरुस्त करवाने की हकदार है। उपरोक्त भूमि संवत 2059 से 2062 तक की जमाबन्दी में वादीया के नाम दर्ज होती रही लेकिन बाद में हल्का पटवारी द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के यह लिख कर की खसरा नम्बर 177/1 का रकबा बरारी में कम हुआ लिख कर वादीया का नाम रिकॉर्ड ऑफ राईट्स से हटा दिया गया जो अवैध एवं शुन्य है। क्योंकि मौके पर वादीया का कब्जा एवं दखल चला आ रहा है। दिनांक 20.08.2022 को हल्का पटवारी द्वारा वादगत भूमि से जबरिया बेदखल करने एवं खड़ी फसल निलाम करने की धमकी के कारण वादीया को वाद कारण हासिल हुआ । तब वादीया ने उक्त दावा पेश किया। प्रतिवादी प्रतिनिधी द्वारा वादगत भूमि से जबरिया बेदखल करने , खड़ी फसल नष्ट करने भूमि अन्य को आवंटित करने की धमकी के कारण चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हक पैदा हुआ । वाद अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण धारा 80 (2)सीपीसी की अनुमति के साथ प्रस्तुत कर दावा स्वीकार कर वादगत भूमि मौजा रोही कांकडवाला हाल चक 10-11 बीएचएम के मुरब्बा नम्बर 5/40 के किला नं. 2 ता 9 , 12ता19, 21ता25 तादादी 21.0 बीघा , मु0नं0 25/15 के किला नं0 6, 13ता25, तादादी 14.0 बीघा , मु0नं0 25/27 के किला नं0 1 ता 4 , 7 ता 09 तादादी 07.0 बीघा कुल तादादी 42.0 बीघा के खातेदारी अधिकार प्राप्त काबिज काश्तकार की घोषणा एवं उपरोक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में आराजीराज की जगह अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवाने एवं भू-प्रबन्ध विभाग एवं राजस्व अमला के आदेश को निष्प्रभावी घोषित कराने एवं प्रतिवादी के विरुद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का वाद प्रस्तुत किया। वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी के नाम समन जारी किया गया। प्रतिवादी की ओर से परोकार राज उपस्थित । प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। दावा एवं जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीहात कायम की गई:-

1. आया की वादीया मौजा रोही कांकडवाला हाल चक 10-11 बीएचएम की कुल तादादी 42.0 बीघा भूमि की खातेदारी अधिकार प्राप्त काबित काश्तकार हैं।
2. आया की राजस्व अमला ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर वादीया का नाम जमाबन्दी से हटाया है जो अवैध एवं शुन्य हैं।
3. आया की भूप्रबन्ध विभाग ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर खसरा नम्बर 177 की तरमीम जमाबन्दी में दर्ज रकबे के अनुसार नहीं करके खसरा नम्बर 177 का रकबा पास के अन्य खसरा नम्बर में तरमीम किया है। जो अवैध एवं शुन्य हैं।
4. आया की वादीया खसरा नम्बर 177/1 तादादी 42 बीघा हाल चक 10-11 बीएचएम के मुरब्बा नम्बर 5/40 के किला नं. 2 ता 9 , 12ता19, 21ता25 तादादी 21.0 बीघा , मु0नं0 25/15 के किला नं0 6, 13ता25, तादादी 14.0 बीघा , मु0नं0 25/27 के किला नं0 1 ता 4 , 7 ता 09 तादादी 07.0 बीघा कुल तादादी 42.0 बीघा राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती करवाकर अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवाने की हकदार हैं।

उपरोक्त प्रतिवादी
द्वारा

5. आया की वादीया वादगत भूमि बाबत प्रतिवादी के विरुद्ध चिरस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की हकदार हैं।
6. आया की धारा 80 सीपीसी के नोटिस के अभाव में दावा संधारण योग्य नहीं होने के कारण खारिज करने योग्य हैं।


तनकी संख्या 1 ता 5 को साबित करने का भार वादीया पर एवं तनकी संख्या 6 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर हैं। वादीया को उपरोक्त तनकीयात साबित करने हेतु साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। वादीया की ओर से स्वयं वादी एवं खेत पड़ोसी भूरसिंह व देवीगर के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं करने पर शहादत प्रतिवादी बन्द की जाकर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील वादीया ने वादपत्र मे वर्णित कथनों को दौहराते हुवे निवेदन किया की भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा नक्शा में खसरा की भुजाएं कम खींच दी जिसके कारण जमाबन्दी मे दर्ज रकबा का मिलान नहीं होने के कारण वादीया को खसरा नम्बर 177 के पास स्थित खसरो में कब्जा दे दिया जिस पर वादीया का निरन्तर कब्जा चला आ रहा हैं। भू-प्रबन्ध विभाग को पूर्ववर्ती रिकॉर्ड को रिपीट करने का अधिकार होता हैं। उसका क्षेत्रफल कम या अधिक करने का कोई अधिकार नहीं होता हैं। इसलिये भू-प्रबन्ध विभाग का उक्त कृत्य अवैध एवं शुन्य हैं। जिसे निष्प्रभावी घोषित करवाकर राजस्व रिकॉर्ड मं दुरुस्ती करवाने की हकदार वादीया हैं। उपरोक्त भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आने पर चक 10-11 बीएचएम के मुरब्बा नम्बर 5/40 के किला नं. 2 ता 9 , 12ता19, 21ता25 तादादी 21.0 बीघा , मु0नं0 25/15 के किला नं0 6, 13ता25, तादादी 14.0 बीघा , मु0नं0 25/27 के किला नं0 1 ता 4 , 7 ता 09 तादादी 07.0 बीघा कुल तादादी 42.0 बीघा में परिवर्तन हुई। जिस पर वादीया का खरीद के दिन से निरन्त कब्जा एवं काश्त चला आ रहा हैं। वादीया ने अपने दावे के समर्थन में प्रदर्श 1 मिलान क्षेत्रफल संवत 2025 , प्रदर्श 2 नक्शा संवत 2003, प्रदर्श 3 इन्तकाल संख्या 180, प्रदर्श 4 जमाबन्दी संवत 2051-54, प्रदर्श 5 जमाबन्दी संवत 2059 से 2062, प्रदर्श 6 जमाबन्दी चक 10 बीएचएम , प्रदर्श 7 विक्रय पत्र आदि दस्तावेज पेश किये हैं। जिससे तनकी संख्या 1 ता 5 की बखुबी वादीया के पक्ष में साबित होती हैं। इसलिये दावा स्वीकार कर वादीया को वादगत भूमि का खातेदारी अधिकार प्राप्त काबित काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में वादगत भूमि वादीया के नाम खातेदारी दर्ज करने का आदेश प्रदान करे। बहस पैरोकार राज का कथन है की वादीगत भूमि पर वादीया का कब्जाकाश्त नहीं ना ही वादीया ने धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया गया। इसलिये दावा खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस उभय पक्ष सुनी पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का घ्यानपूर्वक अघ्ययन किया । तनकी संख्या 1 ता 5 को साबित करने का भार वादीया पर था वादीया द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड इन्तकाल संख्या 180 ग्राम कांकडवाला, ग्राम कांकडवाला जमाबन्दी संवत् 2059-62, खसरा गिरदावरी ग्राम कांकडवाला संवत् 2051-54, जमाबन्दी ग्राम कांकडवाला संवत 2051-54 , संवत् 2003 नक्शा ग्राम कांकडवाला, मिलान क्षेत्रफल ग्राम कांकडवाला संवत 2025 एवं बहस से यह प्रतीत होता है की मौजा रोही कांकडवाला में वादीया के खसरा नम्बर 177/1 तादादी 42 बीघा की जगह चक 10 के मुरब्बा नम्बर 5/40 के किला नम्बर 2 ता 9, 12ता19, 21 ता 25 तादादी 21बीघा, मु0नं0 25/15 के कि0नं0 6, 13 ता 25 तादादी 14 बीघा , चक 11

बीएचएम के मु0नं0 25/27 के कि0नं0 1 ता4, 7 ता9 तादादी 7.0 बीघा कुल 42 बीघा अराजीराज की जगह वादीया अपने नाम से दर्ज करवाने की हकदार हैं। इसलिये वादीया का दावा स्वीकार कर वादीया को मौजा रोही चक 10-11 बीएचएम के मुरब्बा नम्बर 5/40 के किला नं. 2 ता 9 , 12ता19, 21ता25 तादादी 21.0 बीघा , मु0नं0 25/15 के किला नं0 6, 13ता25, तादादी 14.0 बीघा , मु0नं0 25/27 के किला नं0 1 ता 4 , 7 ता 09 तादादी 07.0 बीघा कुल तादादी 42.0 बीघा का खोतदारी अधिकार प्राप्त काबिज काश्तकार की घोषणा की जाती हैं। राजस्व रिकॉर्ड में वादगत भूमि आराजीराज की जगह वादीया के नाम खातेदारी मे दर्ज किया जावे। आदेशानुसार तहसीलदार लूनकरनसर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफत्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 10/02/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(रामनाथ शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर